

बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

19 जुलाई 2019

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

- 28

नियुक्ति प्रक्रिया का अनुपालन

*166 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों के पोता-पोती तथा नाती-नतिनी को राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु दो प्रतिशत (2%) क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है जिसका अनुपालन खासकर शिक्षकों तथा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रावधान के अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पारिश्रमिक एवं मानदेय का भुगतान करने का विचार

*312 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रिकार्ड समय में इन्टर एवं मैट्रिक के परीक्षाफल का प्रकाशन करने में शिक्षकों के कठिन परिश्रम के साथ उनका

बहुमूल्य योगदान रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 के मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों को उनके पारिश्रमिक तथा मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है, जिससे शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार गत वर्षों के बकाये सहित वर्ष 2019 का शिक्षकों को उनके पारिश्रमिक एवं मानदेय का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पंचायती राज संस्था से मुक्त कबतक

***313 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों को उनकी अर्हता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर सेवा-निरंतरता, अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ-साथ प्रान्ति की व्यवस्था / प्रावधान नहीं किये जाने से उनकी हकमारी हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय पत्रांक 288, दिनांक 05.07.2017 के आलोक में Long Term Plan के तहत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पंचायती राज संस्था से अलग करने हेतु समय-सीमा तय की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रभावित शिक्षकों को सेवा संबंधित अपेक्षित लाभ / सविधा देने तथा इन्हें पंचायती राज संस्था से मुक्त करने हेतु कबतक और कौन-सा उपाय करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

संरक्षण कार्य का संपादन सुनिश्चित कबतक

***314 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि राज दरभंगा द्वारा लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस बिहार के महामहिम राज्यपाल को संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के लिए दान दिया गया था और वर्तमान में यह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्यालय है;

(ख) क्या यह सही है कि 1885 ई. में निर्मित यह भवन भारत का हेरिटेज भवन है और इसके खूबसूरत बनावट की चर्चा भारत ही नहीं, इंग्लैंड के दस्तावेजों में भी है;

(ग) क्या यह सही है कि इस भवन के संरक्षण हेतु बिहार सरकार द्वारा करीब 6 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है परन्तु हेरिटेज भवनों के संरक्षण की विशेषज्ञता के अभाव में स्थानीय ठेकेदार द्वारा संरक्षण के नाम पर इस भवन के साथ बंटाधार करने की संभावना है;

(घ) क्या यह सही है कि हेरिटेज भवन के संरक्षण का अपना 'व्याकरण' होता है और इसकी तकनीकी ज्ञान भारत सरकार की संस्था 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' अथवा भारत सरकार द्वारा सम्पोषित 'इनटैक' जैसी संस्थाओं के पास ही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार हेरिटेज भवनों के संरक्षण के विशेषज्ञ संस्थानों के परामर्श पर ही इसके संरक्षण कार्य का संपादन सुनिश्चित करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता

*315 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

तारांकित प्रश्न

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल एवं महुआ प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है; यहां के विद्यालयों में मेनू के अनुसार भोजन न देकर और छात्र की वास्तविक संख्या से अधिक दिखाकर सरकारी राशि की लूट की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की सघन जांच कराते हुए दोषियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है?

आरा में संग्रहालय

*316 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

कला, संस्कृति एवं युवा :-

तारांकित प्रश्न

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि देश की आजादी की लड़ाई में भोजपुर जिला के काफी लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे;

(ख) क्या यह सही है कि 15 सितम्बर 1942 को भोजपुर जिला के अगिआंव प्रखंड के ग्राम- लसाड़ी, ढकनी एवं चासी के 12 लोग शहीद हुए थे;

(ग) क्या यह सही है कि उन अमर शहीदों की लड़ाई का इतिहास या घटना के संबंध में राज्य सरकार के पास लिखित इतिहास है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार भोजपुर जिला के आरा में संग्रहालय बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

परिसर को एकीकृत कब तक

*317 डा. दिलीप कुमार चौधरी (स्नातक दरभंगा):

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा के परिसर में एक बारात घर का निर्माण करा दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि संग्रहालय में रखी गई दुर्लभ कलाकृतियों को इस बारात घर से खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में रात में लोग यहां शादी एवं समारोह के लिए पहुंचते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि संग्रहालय की जमीन पर बारात घर खोलना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त बारात घर को तत्काल प्रभाव से बंद करने एवं संपूर्ण जमीन को संग्रहालय परिसर में एकीकृत करने हेतु जिला पदाधिकारी एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा को तुरंत निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

निर्देशों का अनुपालन

*318 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त नियमावली लागू की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि सेवा मार्गदर्शिका के आलोक में शिक्षा विभाग के पत्रांक 42, दिनांक 08.01.2019 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक दिनांक 12.02.19 के आलोक में उक्त कोटि के विद्यालयों में सेवा पुस्तिका खोलने, वेतन निर्धारण करने, आंतरिक श्रोत से प्राप्त राजस्व से 70 फीसदी वेतन भुगतान में खर्च करने का निदेश दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वेबसाईट बनाकर सारी सूचनाएं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतलायेगी कि अबतक कितने विद्यालयों तथा इंटर कॉलेजों की वेबसाईट का निर्माण किया गया तथा कितने महाविद्यालयों में सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ है, यदि नहीं तो क्यों?

कार्रवाई करने का विचार कब तक

***319 श्री सुनील कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत गौड़ाबौराम प्रखंड के गौड़ा मानसिंह में कोशीक उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय अपने क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विद्यालय है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी भी यह दोनों विद्यालय भवनहीन हैं, जिसके कारण 323 छात्र/छात्राएं वर्तमान युग में वृक्ष के तले पढ़ने को मजबूर हैं;

(ग) क्या यह सही है कि +2 उच्च विद्यालय गौड़ा मानसिंह में भवन निर्माण का टेंडर भी हुआ और कार्य लिंटर तक होने के बाद ठीकेदार भाग गए;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण करवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है; यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भवन निर्माण कब तक

*320 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था जिसके आलोक में गया जिला के नगर प्रखंड कोरमा में मध्य विद्यालय कोरमा को हाईस्कूल में उत्क्रमित किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय कोरमा में पठन-पाठन भी लगातार सुचारु रूप से चल रहा है तथा सरकार द्वारा इस विद्यालय में भवन निर्माण के लिए काफी पहले ही टेंडर निकाला जा चुका है और भवन निर्माण की समयावधि भी समाप्त हो गई है, पर आज तक भवन नहीं बना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल्द इस विद्यालय में भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

निजी विद्यालयों पर कार्रवाई

*321 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा के अधिकार के तहत वर्ष 2009 में स्कूलों को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का नियम बना, इसे वर्ष 2011 में सभी स्कूलों में लागू कर दिया गया;

(ख) क्या यह सही है कि इसके तहत निजी विद्यालयों को ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है जिसकी एक प्रति जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना जरूरी है लेकिन राज्य के लगभग सभी निजी विद्यालय ऑडिट रिपोर्ट सौंपने में कोताही बरतते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के पास न तो स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट है और न ही स्कूलों के बैंक खातों की जानकारी;

(घ) क्या यह सही है कि राज्य के निजी विद्यालयों की मनमानी सिर्फ नए सत्र में ही नहीं चलती, बल्कि सालभर किसी न किसी बहाने अभिभावकों की जेबें खाली करवाई जाती हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई करना

चाहती है, यदि हां तो कब तक?

सम्बद्धता आदेश कब तक

*322 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राम विदेशी सिंह महाविद्यालय, धनुषी, वैशाली की प्रस्वीकृति / सम्बद्धता कोड समाप्त किये जाने संबंधी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष दायर अपील की सुनवाई के पश्चात् माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा ज्ञापांक – 09।मु.-48/2017-323, दिनांक 29.06.2018 को ही निर्णय दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय में अंकित शर्तों को भी जांचोपरान्त पूरी करने के बावजूद महाविद्यालय की प्रस्वीकृति / सम्बद्धता कोड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नहीं प्रदान किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राम विदेशी सिंह महाविद्यालय, धनुषी, वैशाली की प्रस्वीकृति / सम्बद्धता कोड बहाल करने संबंधी आदेश निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

अनुवाद एवं संरक्षण कराने का विचार

*323 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है पुरानी चित्रात्मक वस्तुएं एवं ऐतिहासिक सामग्रियों के रख-रखाव का दायित्व विभाग का है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना संग्रहालय में महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लायी गई साहित्यिक / ऐतिहासिक सामग्री को बंद कमरे में रखा गया है, जिससे देश-विदेश से आये पर्यटक, इन तत्वों चीजों से अनभिज्ञ हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित विषय का अनुवाद एवं संरक्षण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

मध्य विद्यालय से अलग कब

*324 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज जगदीशपुर के ग्राम जगदीशपुर, नोनिया टोला में नवसृजित विद्यालय को हटाकर मध्य विद्यालय में टैग कर दिया है जिसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, दूरी अधिक रहने के कारण बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जगदीशपुर, नोनिया टोला में नवसृजित विद्यालय को वहीं पर रखते हुए मध्य विद्यालय से अलग करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

बिहार म्यूजियम की सुचारू व्यवस्था

*325 ():

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार म्यूजियम, पटना भ्रष्टाचार, अनैतिकता एवं कुव्यवस्था का शिकार हो गया है, जहां बिहार सरकार का नियम और कानून नहीं चलता है;

(ख) क्या यह सही है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए हुए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है, भयादोहन किया जाता है और घूस नहीं देनेवालों को बर्खास्त तक कर दिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि छोटे कर्मचारियों को हमेशा मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और इसकी आड़ में कई अनैतिक काग़्र भी हो रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार म्यूजियम के पिछले तीन वर्षों के प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच विभागीय जांच आयुक्त से कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहती है और बिहार म्यूजियम की व्यवस्था नियमानुसार सुचारू करवाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

*326 श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि श्री अवधेश प्रसाद सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, समस्तीपुर लगभग 21 वर्षों से समस्तीपुर जिले में ही विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते आ रहे हैं, जो कार्मिक विभाग के नियम के प्रावधानानुसार नियमानुकूल नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' पर अंकित पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों को डरा-धमका कर पद का दुरुपयोग कर उच्चाधिकारी के नाम पर अवैध राशि की वसूली करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि श्री सिंह के अधीनस्थ 16 में से 12 कर्मियों द्वारा प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ-पत्र के साथ विभिन्न पदाधिकारियों को आरोप-पत्र दिया गया, परंतु आज तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए उन्हें अविलंब अन्यत्र जिला में स्थानांतरित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

समान फीस एवं समान ड्रेस कोड

*327 श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में एक समान फीस की नीति बनाई जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इन महाविद्यालयों में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसके कार्यान्वयन का विचार रखती है?

शिक्षा कर्मचारियों का समायोजन

*328 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि विभा कुमारी, माधुरी लता, इन्द्रा कुमारी अनौपचारिक शिक्षा के पद पर लोदीकटरा, पटना सिटी में वर्ष 1985 से दिनांक 19.08.89 तक कार्यरत थीं;

(ख) क्या यह सही है कि लगभग पांच हजार से अधिक अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े कर्मियों को सरकार द्वारा छटनीग्रस्त कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े छटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन करने का आदेश सरकार को दिया गया, जिसमें से लगभग तीन हजार कर्मचारियों का समायोजन हो गया परन्तु शेष बाकी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभा कुमारी, माधुरी लता, इन्द्रा कुमारी सहित अन्य अनौपचारिक शिक्षा कर्मचारियों का समायोजन शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण

***329 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार) :**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उड़वा मध्य विद्यालय का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण नहीं होने के कारण और इस गांव में उच्च विद्यालय के नहीं रहने से यहां के मेधावी छात्र-छात्राओं के काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि उड़वा एवं आसपास की मेधावी लड़कियां उच्च विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण वहां के स्कूल नहीं जा पाती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के हित में उड़वा मध्य विद्यालय का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ

***330 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी के साथ-साथ मैथिली अकादमी, भोजपुरी अकादमी, मगही अकादमी, बंगला अकादमी, संस्कृत अकादमी आदि भाषायी अकादमियां शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन अकादमी कर्मियों को अभी तक पंचम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि सरकार के अन्य कर्मियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन अकादमी कर्मियों को छठे/सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ कबतक देना चाहती है?

कार्यक्रम का आयोजन

*331 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि चम्पारण की धरती ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया;

(ख) क्या यह सही है कि गांधी जी के 150वें जन्म वर्ष पर चम्पारण में कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोतिहारी, भित्तिहरवा, वृंदावन, मधुबन, बरहरवा लखनसेन, चन्द्रहिया आदि जगहों पर सरकारी स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

भवन निर्माण का विचार

*332 श्री सच्चदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत उच्च विद्यालय, कन्हौली, बनियापुर को +2 प्रोन्नत कर दिया गया है लेकिन +2 के बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु भवन का निर्माण नहीं कराया गया है जिसके कारण शिक्षण कार्य में बाधा पहुंच रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त

विद्यालय में +2 हेतु कक्षा भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदों का सृजन

***333 श्री देवेश चन्द्र ठाकुर (स्नातक तिरहुत):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंडान्तर्गत मध्य विद्यालय, पहसौल में प्रधानाध्यापक, स्नातक विज्ञान एवं स्नातक कला का पद सृजित नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में उपरोक्त पद सृजित नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित पदों का सृजन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

01.01.1989 से वेतन का भुगतान

***334 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं.-6626-6675/2001 तथा दिनांक 03.01.2006 को पारित आदेश एवं बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय पटना के ज्ञापांक – 70(पी.), दिनांक 29.03.2010 के तहत श्री मो. नजमुल होदा को प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय विश्वादिग्धी, कटिहार में उर्दू विषय में सहायक शिक्षक के पद पर मान्यता प्रदान की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-177/सा.शि.-06 जून 2015 के द्वारा 01.01.89 से लगातार श्री नजमुल होदा की सेवा का जांच प्रतिवेदन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पटना को प्राप्त है;

(ग) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-910/25.09.2014 के द्वारा स्थलीय जांच प्रतिवेदन एवं पत्रांक-316/16.12.2015 के द्वारा वरीयता सूची के आधार पर उक्त विद्यालय में शिक्षक कोटि के केवल दो ही शिक्षक कार्यरत हैं, किन्तु एक ही शिक्षक का वेतन भुगतान 01.01.1989 से किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री नजमुल होदा को भी दिनांक 01.01.1989 से वेतन का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन का यथाशीघ्र अधिग्रहण

*335 श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला स्थित महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भूमि पूर्ण रूप से सरकार अधिगृहीत करना चाहती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय की जमीन को यथाशीघ्र अधिगृहीत करेगी, यदि हां तो कबतक ?

शिक्षक बहाली में केवल बिहार के निवासी

*336 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षक पद पर नियोजन हेतु निर्धारित अर्हता में बिहार का निवासी होना एवं आवेदन पत्र के साथ राज्य के स्थायी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है, इस संबंध में वर्ष 2011-12 में माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका संख्या-2538/2013 दायर की गई थी जिसमें सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य में पर्याप्त प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं हैं, इसलिए राज्य के बाहर के लोग भी आ सकें, जिसके आधार पर आवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में टी.ई.टी. और सी.टी.ई.टी. उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात समेत लगभग सभी राज्यों में केवल अपने राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण टी.ई.टी. एवं सी.टी.ई.टी. अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केवल बिहार प्रारंथीक शिक्षक पात्रता परीक्षा बी.ई.टी.ई.टी. एवं सी.टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को (जो बिहार के निवासी हैं) ही आगामी शिक्षक बहाली में शामिल करना चाहती है, यदि हां

तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालयों की मरम्मती

*337 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलांतर्गत फतुहा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, सैदपुर के भवन के जर्जर स्थिति होने के कारण इसकी छत दिनांक 02 जुलाई, 2019 को गिर गई;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के सभी जिलों के कमोबेश विद्यालयों के भवन की स्थिति लगभग इसी प्रकार की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन विद्यालयों की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

हाई स्कूल का निर्माण

*338 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत अझौर में हाई स्कूल के नहीं रहने के कारण पंचायत के छात्र-छात्राओं को 4 किलोमीटर दूर सुनसान रास्ते से चांदपुरा जाना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत से हाई स्कूल की दूरी रहने के कारण बहुत सारे छात्र-छात्रा, खासकर छात्राएं अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं, इस वजह से छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में अतिशीघ्र हाई स्कूल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?
